(2) Memorandum (Hindi and English versions) explaining the reasons for non-acceptance by Government of the Commission's advice in certain cases mentioned in the above Report. [*Placed in Library. See* No. LT-2227/78].

NOTIFICATION RE. AGREEMENT WITH PROVISIONAL MILITARY GOVERNMENT OF SOCIALIST ETHIOPIA FOR AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF INCOME OF AIRCRAFT OPERATING ENTERPRISES AND NOTIFICATION CONTAINING CORRIGENDA TO THE FORMER ONE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): On behalf of Shri Zulfiquarulla, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of Notification No. G.S.R. 8(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 4th January 1978 regarding Agreement between the Government of the Republic of India and the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia for the avoidance of double taxation of income of enterprises operating aircraft. [*Placed in Library. See* No. LT-2228/78].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 159[illegible] (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 2nd March, 1978 containing corrigenda to Notification No. G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 1978. [*Placed in Library. See* No. LT-2229/78].

12.16 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

POLICE FIRING IN AGRA

डा० रामजी सिंह : (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"15 अप्रैल, 1978 को स्वर्गीय डा० बाबासाहेब अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाने के लिए आगरा की सड़कों से जाते हुए जलूस में से अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने, तदुपरांत हिंसा की घटनाओं तथा 1 मई, 1978 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने, कर्फ्यू लगाये जाने और सेना को बुलाये जाने का समाचार" ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir the deplorable incidents of violence in Agra have caused understandable concern and deserve strong condemnation.

According to reports received from the Government of U.P., when a procession taken out on the eve of the birth anniversary of Dr. Ambedkar on 14th April 1978 was passing through Rawatpara and Peepal Mandi in Agra there was some stone throwing and damage was caused to some shops. The police intervened and the procession passed off peacefully. Under the aegis of Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti Samiti some persons proposed to take out a procession on 23rd April 1978, on the same route which was opposed by the shop keepers of Rawatpara and Peepal Mandi. In view of the prevailing tension, the district authorities suggested to the sponsors of the procession to take an alternative route and also imposed prohibitory orders under section 144 Cr. P.C. as a precautionary measure. A procession of about 3,000 persons was taken out on 23rd April, 1978 and after some persuasion the leaders of the proces-

[Shri Dmaniklal Mandal]

sion appeared agreeable to avoid the prohibited area. However, when the procession reached the vicinity of Rawatpara and Peepal Mandi the crowd became violent and attempted to break the police cordon and force its way towards the prohibited area. The police fired tear gas shells and made a mild lathi charge to disperse the crowd. 35 persons were arrested.

On 1st May, 1978, about 80 persons reportedly belonging to the Jatav community demonstrated at the Collectorate, entered the court of the Additional District Magistrate indulged in rowdyism, broke glass panes, damaged furniture and assaulted a clerk of the Court. The police intervened and arrested the demonstrators. When the arrested persons were beIng shifted to the police station, about 100 demonstrators who had since collected at the spot became violent and the police dispersed them by brandishing lathis. A section of the crowd, while dispersing, set fire to a Roadways bus which was passing through. Some demonstrators indulged in heavy brickbatting of the police One of the demonstrators allegedly fired on a police Inspector and the police officer returned the fire in self-defence killing him on the spot. A number of scooters and buses were set on fire. An attempt was made to attack the regional workshop of the Roadways and set fire to a Power House, a Branch Post Office as well as a Petrol Depot of Indian Oil but these were foiled by timely intervention by the police. In view of the continued brickbatting from the housetops and widespread attempts to damage public property the police opened fire at two places to control the situation. Curfew was imposed and the Army was called out to help the civil administration. 5 persons were killed and 34 persons from the public admitted to hospital with injuries as a result of incidents on the 1st of May. 4 policemen have also been admitted to hospital and the condition of two of them is reported to be serious.

The curfew was relaxed yesterday from 5 A.M. to 7 P.M. but no untoward incident was reported during this period, However, when a police party went to Jagdishpura to announce the reimposition of curfew in the evening, some miscreants set up road blocks, indulged in heavy brickbatting and fired on the police vehicle from housetops. The police returned the fire in self defence resulting in the death of one person and serious injuries to another who succumbed to the injuries this morning. The death toll in these incidents has thus risen to seven. Some persons also pelted stones on a cinema building and set fire to a nearby wood 'Tal' in the evening. The police intervened and chased away the miscreants.

The curfew has again been relaxed this morning from 5 A.M. in all locatlities except Jagdishpura. Central Government have rushed units of C.R.P. at the request of the State Government. The situation is reported to be under control and gradually returning to normal.

डा० रामजी सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने जो कहा उससे मुझे याद आ रहा है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो खेल कर रहा था और यही बात आगरा में हुई—**कौंस पलेक्सहोइस आगरा बर्नट** ।

अभी अखबारों में जो समाचार आया है, उससे किसी भी व्यक्ति के हृदय को चोट लगना स्वाभाविक हैं। अभी गृह मंत्री जी ने जो वहां की स्थिति बतायी है, उससे भी वहां की स्थिति की गंभीरता का पता लगता है। आगरा के हमारे संसद सदस्य माननीय चतुर्वेदी जी से गत रात मेरी टेलीफोन पर बातें हुई थीं। उन्होंने भी वहां की स्थिति को काफी गंभीर बताया है। अखबारों में मैंने जो पढ़ा है —

"Some of them tried to remove the fish plates of railway lines passing below the Collectorate, cut signal wires and set fire to the out-station cabin. As PAC pickets rushed to chase away the rioters, they were attacked by brickbats from houses on both sides of the railway lines."

फिर भी यह घटना हुई । उसके बाद फिर वहां गोली चली । पुलिस का अखबारों में बयान आया है कि ऊपर से उन पर गोली चलाई गई है । अब क्या सत्य है और क्या असत्य इसका निर्णय करने के लिए मैं यहां उपस्थित नहीं हूं मैं केवल यही जानता हूं कि सचमुच में भीड़ के ढेले और पुलिस की गोलियों के बीच हमारा जनतंत्र रो रहा है । यह केवल जनता पार्टी की सरकार के वास्ते ही चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिये बल्कि देश के वास्ते चिन्ता का विषय होना चाहिये । पंद्रह तारीख को एक घटना घटित हुई और उसके बाद फिर एक तारीख को यह घटना घटी । इसका मतलब यह है कि पंद्रह दिन तक शासन जड़ बन कर बैठा रहा, सोता रहा । प्रशासन की विफलता का इससे और कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सकता है कि पंद्रह दिन का उसको समय मिला था लेकिन उस समय का कोई लाभ नहीं उठाया गया और एक तारीख को जब स्थिति बेकाबू हो गई तो भारत की नागरिक शक्ति का अपमान करने के लिए मिलिटरी शक्ति को बुलाया गया । यह नागरिक शासन की विफलता का ही परिणाम है । सब से अधिक दुख की बात तो यह है कि हरिजन भाइयों के ऊपर गोली चली है और जो भी जलूस आदि का आयोजन किया गया था वह बाबा साहब अम्बेदकर का जन्म दिन मनाने के लिए किया गया था । मुझे रात में चतुर्वेदी जी ने फोन पर बताया था कि जब भीड़ जा रही थी तो किन्हीं बदमाश लोगों ने जो उपद्रव और उत्पात करके भारतीय जनतंत्र के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे उस पर ढेले फेंके । इस पर उनका रुष्ट होना स्वाभाविक था । इससे उनके स्वाभिमान को धक्का लगा कि वे बाबा साहेब का जन्म दिन भी उत्साह और उल्लास से नहीं मना सकते । इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया । पुलिस का यह बयान है कि केवल सौ प्रदर्शनकारी थे । अगर इन सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया होता तो भी ऐसी स्थिति पैदा न होती कि आपको गोली चलानी पड़ती ।

मेरी राय तो वह है कि वह सारी घटना प्री-प्लांड थी । अखबारों में जिक्र आया है कि सौ आदमी थे और पंद्रह मिनट में आग सब जगह पर लगा दी गई, पैट्रोल पम्पस को लगाई गई, पोस्ट आफिसिस को जलाया गया और दूसरी जगहों पर आग लगाई गई । यह सब पूर्व नियोजित था ।

इन शब्दों के साथ कुछ प्रश्न मैं करना चाहता हूं । क्या यह सही है कि आगरा जल रहा था और शान्ति और व्यवस्था के अभिभावक रंगरेलियां मना रहे थे, हस्बेंड्ज डे मना रहे थे ? क्या यह प्रशासन की असफलता का द्योतक नहीं है कि जो घटना 15 अप्रैल को घटित हुई थी और उसने जो समस्या लाकर सामने खड़ी कर दी थी उसका निराकरण तीस अप्रैल तक भी नहीं किया गया ?

क्या गृह मंत्री जी यह भी बताएंगे कि जातिगत विद्वेष का सामना करने के लिए जिस तरह से माननीय चतुर्वेदी जी ने वहां शान्ति समिति बना ली है क्या आपने भी पन्द्रह दिन तक कोई पीस कमेटी, शान्ति समिति बनाई थी या नहीं और अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

आज उत्तर प्रदेश में यह गोलीकांड हुआ है । हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर जाकर कसम खाई थी कि उनके आदर्शों पर हम चलेंगे । क्या इसकी पूर्ति के वास्ते आप इस भीड़ की राजनीति को नियंत्रित करने के लिए रबड़ की गोली का प्रबन्ध करेंगे ताकि

[डा० रामजी सिंह]

इस तरह से जन हानि न हो और संगठित या असंगठित भीड़ का सामना किया जा सके ?

श्री धनिक लाल मण्डल : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारा जनतंत्र ढेलों और गोलियों के बीच में चल रहा है । आगरा की घटना से मैं समझता हूं कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वहां पर फायर आर्म्ज यूज हुए हैं, आर्सन हुआ है, बसें जलाई गई हैं, पेट्रोल पम्प, पोस्ट आफिस वगैरह को आग लगाई गई है जो कुछ भी हाथ लगा उसको आग लगाई गई । यह कहना कि एक तरफ से ढेला चला और दूसरी तरफ से गोली चली असत्य है । यह सत्य नहीं है । बल्कि फायर आर्म्ज का इस्तेमाल हुआ है. गोली चली है भीड़ की ओर से और उसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई । आगजनी हुई है और केवल बस ही नहीं यात्री भी जले हैं । ऐसी घटनायें हैं, 34 घटनाओं में से 18 में पब्लिक के लोग जले हैं इस तरह की घटनायें हुई हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाला है वह सही नहीं है । 15 दिनों में सरकार ने कुछ नहीं किया यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता । 14 तारीख को जो जलूस निकला और जिस पर कहा जाता है कि पत्थर फेंके गये, ढेले फेंके गये, पुलिस ने इन्टरवीन करके उस प्रोसेशन को निकाल दिया । दूसरे रोज जो जलूस निकला, सवर्णों की ओर से और जो शान्तिपूर्वक निकल गया थाने में जाकर टर्मिनेट हो गया पुलिस ने एफ०आई०आर० दर्ज की लेकिन अरेस्ट नहीं पुलिस ने की । कोई कार्यवाही इसलिये नहीं की कि और उत्तेजना न आये । इसके बाद 23 अप्रैल को जो घटना है उसमें जलूस निकालने की इजाजत दी गई, लेकिन यह कहा गया कि पीपल मंडी और रावतपाड़ा से मार्केट से जलूस नहीं निकलेगा । इसको प्रोसेशनिस्ट्स ने भी मान लिया था । लेकिन वहां जाकर उन्होंने प्रोहिबिटरी आर्डर को तोड़ा, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और ज्यादती की। फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया । उसके बाद 24 से 29 तक सत्याग्रह का सिलसिला चला जिसमें 280 लोग थे । उनकी मांग यह थी कि इनको अनकंडीशनली छोड़ दिया जाये। पुलिस ने कहा कि जमानत दे दीजिए, बेशक अपनी ही जमानत स्वयं ले लीजिए । 280 में से 220 को यों ही छोड़ दिया गया, बहुत नर्मी से व्यवहार किया गया । बाकी को भी कहा गया कि अपनी जमानत आप स्वयं ले सकते हैं । लेकिन उन्होंने नहीं ली । फिर भी शान्तिपूर्वक वह जब तक कुछ करते रहे पुलिस ने कुछ नहीं किया । पहली मई को कोर्ट में गये तो जब उन लोगों ने क्षति पहुंचाई कोर्ट के सामान को तब भी उनको सिर्फ गिरफ्तार किया गया । लेकिन जब थाने में ले जाये जा रहे थे उस समय में सम्पूर्ण आगरा में 8 जगहों पर एक साथ इस तरह की घटनायें, आगजनी और फायरिंग की घटनायें होना यह क्या बतलाता है ? इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रशासन ढीला था और उसने समुचित कार्यवाही नहीं की । जब आदमी की जान खतरे में हो और आग लगाई जा रही हो तो पुलिस क्या करे ?

श्री डी० जी० गवई (बुलडाना) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह सारा सरासर झूठा है। बाबा साहब अम्बेदकर की जयन्ती मनाने के लिये आगरा के लोगों ने पहले ए०डी०एम० को दर्खास्त दी कि हम 14 तारीख को जलूस निकालना चाहते हैं, डा० अम्बेदकर की झांकियां वगैरह निकालना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने ए० डी० एम० को दर्खास्त दी और उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा कि यहां कुछ गड़बड़ होने का मामला नजर आता है क्योंकि उसके पीछे वहां गड़बड़ चल रही थी । तो बुद्धिस्टों और शैडयूल्ड कास्ट के लोगों ने जब जयन्ती

मनाने की मांग की और उसका कार्यक्रम रखा तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 14 तारीख को उन्होंने जलूस निकाला और रावतपाड़ा, पीपलमंडी के चौराहे पर जलूस गया और वहां जाने के बाद में जो व्यापारी थे या सवर्ण थे किसी को बदनाम करने के कारण या क्या वजह थी, मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक जाने वाले जलूस के लोगों पर जिसमे गरीब लोग थे, डा० अम्बेडकर के चाहने वाले थे, उन पर नाजायज तरीके से पत्थर फेंके जिसकी वजह से लोग भागने लगे। पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। किसी को एरेस्ट नहीं किया। उस जलूस में डा० बाबा साहब अम्बेडकर का जो फ़ोटो ले जाया जा रहा था, उसको पत्थर फेंकने मे क्षति पहुंची। हमारे नेता—इस देश के नेता, डा० बाबा साहब अम्बेडकर, के फ़ोटो पर आज भी पत्थर मारे जाते हैं, यह शर्म और लज्जा की बात है। इस प्रकार फ़ोटो पर पत्थर फेंके जाने पर उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। हमारे ऊपर पथराव किया गया है, हमारे नेता के फ़ोटो पर पथराव किया गया है, इस बारे में न्याय मांगने के लिए लोग कलेक्टर कचहरी की तरफ़ आने लगे। पुलिस ने उनको रोक लिया।

23 तारीख को उन लोगों ने शान्तिपूर्वक—एकदम शान्तिपूर्ण—मौन मोर्चा निकाला। उन पर जो अन्याय हुआ, उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने मूक मोर्चा निकाला। लेकिन उस मूक मोर्चे पर भी पुलिस ने नाजायज तरीके से लाठियां बरसाईं, जिसमें 500 व्यक्ति घायल हुए। मंत्री महोदय ने कहा है कि ज्यादा लोग घायल नहीं हुए। लेकिन पुलिस के भयंकर लाठी चार्ज से 500 आदमी घायल हुए।

इसके बाद उन लोगों ने न्याय मांगने के लिए और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक आन्दोलन शुरू किया, जिसके अन्तर्गत वे लोग अपने आपको एरेस्ट करवाने के लिए कलेक्टर कचहरी के पास जाने लगे। उनका उद्देश्य किसी से झगड़ा करने या मार-पीट करने का नहीं था। गरीब लोग किसी पर ईंट पत्थर नहीं मार सकते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि इधर से गोलियां चलीं, उधर से गोलियां चलीं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार शिड्यूल्ड कास्ट्स को हथियार दे दे, तो फिर देखें कि क्या होता है। लेकिन आज तो उन लोगों के पास कोई लाठी भी नहीं है—उनके पेट में खाना भी नहीं है।

यह आन्दोलन 29 तारीख तक चलता रहा। 30 तारीख को सण्डे की वजह से कोर्ट बन्द थी। सोमवार को कोर्ट के खुलने पर वे लोग, कोर्ट की तोड़-फोड़ करने के लिए नहीं, उस को नुक्सान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन पर होने वाले जुल्म के बारे में एक आवेदनपत्र देने के लिए वहां गये। लेकिन पुलिस ने उन लोगों को कलेक्टर को अपना आवेदन-पत्र देने से रोका और उन पर इतना लाठी-चार्ज किया कि वे सब लोग अपनी जान ले कर भागने लगे। सवर्णों ने उन को पकड़ा और उन को मारना-पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने सवर्णों की मदद कर के उन पर लाठी चार्ज किया और धुंआ-धार गोलियां चलाईं। दूसरे दिन उस ने हरिजनों की बस्तियों में जाकर गोलियां चलाईं, जिस से 15 आदमी मर गये। मन्त्री महोदय ने कहा है कि 3 आदमी मरे। लेकिन कहा जाता है कि वहां 15 आदमी मरे। अभी भी इस बारे में फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है—अभी वह आनी है। वहां के ए०डी०एम०, राजकुमार कुंवर और विवेक नारायण चक्षा ने लोगों को हरिजनों के प्रति अन्याय और अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। इस लिए पहले इन दोनों अफसरों को एरेस्ट किया जाये, या उन्हें ससपैण्ड किया जाये। ये दो अफसर हैं: राजकुमार

[श्री डी० जी० गवई]

कुंवर और विवक नारायण चन्ना—जिन में विवक नहीं है। मन्त्री महोदय हम लोगों में से हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें गृह मन्त्री नहीं, बल्कि घृणा मन्त्री कहना चाहिए।

श्री धनिक लाल मण्डल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि 14 तारीख को जो जलूस निकला, उस पर कुछ ढेले फेंके गये, और इस की जितनी भी निन्दा की जाये, वह कम है। जिन लोगों ने ढेले फेंके, उन की जितनी भी निन्दा की जाये, वह कम है। यह काम निन्दनीय था। उससे उन को प्रोवोकेशन मिला। लेकिन जो बर्बादी हुई, जो शाप्स टूटीं, व तो वहां के स्थानीय लोगों की उस रेली में टूटीं। 14 तारीख की घटना है। इन्हीं लोगों ने तोड़ा है। 15 तारीख को काउंटर जलूस निकला वह थाने में जा कर डिस्पर्स कर गया। इस के बाद मामला एक तरह से खत्म हो गया था। फिर 23 तारीख को जो जुलूस निकला और इस के बाद की जो घटनाएं हैं वे स्वयं स्पष्ट है। मैं ने बता दिया है लेकिन मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि जिन लोगों ने 14 तारीख को जुलूस पर ढेला फेंका और उन को प्रोवोक किया, वह वायलेंस की घटना भी उतनी ही निन्दनीय है।

श्री शिव सम्पति राम (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया है और जो कुछ कहा है उस के लिए मुझ खेद है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख की घटना थी। 14 तारीख को लोग जा रहे थे। जब विशेष रास्ते से जा रहे थे तो उस में अवरोध करने का कारण क्या था? इस से साबित होता है कि वहां के लोग पहले ही जुलूस जाने देना पसन्द नहीं करते थे। इस पर सरकार ने कोई भी आपत्ति नहीं की और न जुलूस के जाने की कोई व्यवस्था की। इसलिए पत्थर फेंकवाया गया और हमारी सरकार देखती रही। फिर अगर मंत्री जी कहते है कि यह गलत है तो फिर जब 23 तारीख को जुलूस निकला तो 23 के बीच में वहां के कलेक्टर, ए०डी०एम० और एस०पी० इन लोगों ने हरिजनों की सुरक्षा देने के लिए क्या व्यवस्था की?

आप खुद 14 तारीख को दिल्ली में मौजूद थे। आप खुद हमारे अगुवा थे। हमारे कम से कम 20 हजार आदमी उस दिन मौजूद थे। आप बताइए किसी हरिजन के पास लाठी डन्डा या और ऐसी कोई चीज थी? उन के पास तो खाने को नहीं है, लाठी डण्डा या रिवाल्वर कहां से रख सकते हैं? अगर यह प्री-प्लाण्ड नहीं था तो निहत्थों पर गोली क्यों चलायी गई? जिस दिन पत्थर फेंका गया मन्त्री जी ने यह उत्तर नहीं दिया कि इतने आदमी, जिन्होंने पत्थर फेंका और बाबा साहब की मूर्ति को धक्का लगा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस का मतलब है कि सच्ची पोजीशन जो है वह छिपा दी गई।

तीसरी बात यह है कि पुलिस बुला ली गई। यहां से भी पुलिस चली गई। तो पन्द्रह दिन के मौके के अन्दर जिलाधिकारी चाहते और एस०पी० चाहते तो कोई घटना नहीं घटती। तो हमारा यह कहना है कि इन लोगों ने जानबूझकर के बवाल कराया और यह जो आरक्षण का कत्ल रहा है इसी को ले कर यह सब किया जा रहा है। अगर यह चीज गलत है तो मन्त्री जी बताएं। वह कहते हैं कि दो सौ, मैं कहता हूं कि वहां हजारों आदमी गायब हैं जिन का पता नहीं है कि जेल में बन्द करके उन्हें कहां भेज दिया गया या बसों में बैठा कर के पता नहीं कहां उन्हें फेंक दिया गया। जलूस में क्या वे लोग माचिस लेकर गए थे आग लगाने के लिए। जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि एक बस चल रही थी और आग लगा दी गई, चलती हुई बस में कैसे आग लग जायगी?

क्या वे लोग पेट्रोल लिए थे जो फेंक दिया। पुलिस की सुरक्षा अगर काफी होती तो लोग यह कैसे करते ? तथ्य कुछ और हैं जिस को सरकार ने पकड़ा नहीं और लेकर हरिजनों को पकड़ लिया और उन को गोली मार दी, जेल में बन्द कर दिया। मैं आप को अपनी मिसाल देता हूं। आप स्वयं मौजूद थे, सब लोग सेंट्रल हाल में आना चाहते थे। आप ने कहा कि नहीं, हम वहीं भाषण देंगे, किसी ने कुछ कहा आप से ? सब धूप में खड़े थे। इतना होने पर भी सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं की हरिजनों की, इस से साबित होता है कि सरकार हरिजनों को सुरक्षा नहीं देगी। सरकार की नीयत हरिजनों के हित में नहीं है और शायद रहना भी नहीं चाहिए।

इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं मन्त्री जी को।

श्री धनिकलाल मण्डल : मैं प्रधान मन्त्री जी की बात को यहां रखना चाहता हूं। उस से अधिक मैं नहीं कह सकता। प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है इस से हम लोग शर्मिन्दा है। लेकिन हरिजनों को इस का मुकाबिला करने के लिए शांति का रास्ता लेना चाहिए, सत्यग्रह का रास्ता लेना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसी बात होती और मुझसे सहयोग मांगा जाता . . . (**व्यवधान**) हरिजन जो प्रतिकार करेंगें वह प्रतिकार का रास्ता उन का शांति का होना चाहिए, गांधी जी के बताए हुए रास्ते से होना चाहिए, सत्याग्रह के रास्ते से होना चाहिए . . . . (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: Don't record.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: This is not a debate. Don't record.

*(Interruptions)**

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar): Sir, on a point of order. I would like to bring to your notice that when the Minister was replying to the debate on the Demands for Grants relating to his Ministry he replied in this manner. I tell you that he is behaving arrogantly. This is most unparliamentary. This is the second time it has happened. You should pull him up.

MR. SPEAKER: There is no point of order.

श्री **कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सहमत हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का जलूस निकाला जा रहा था उस पर जिन लोगों ने पथराव किया उनको पकड़ करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये। आपने दी है या नहीं, यह बतायें। साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं—मुझे नहीं मालूम किसन अखबार में यह लिखा है कि प्री-प्लाण्ड वायलेंस था लेकिन अखबार में जो तथ्य आये हैं उनमें ऐसा लगता है कि डीगरूरेटेड प्री प्लान्ड कांस्पिरेसी थी, किसने की यह मैं नहीं जानता पर जिन्होंने वयलेंस किया है चाहे काज ठीक भी हो, मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल लिबर्टी और वायलेंस साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। हम पर्सनल लिबर्टी देना चाहते हैं लेकिन उस के साथ-साथ कोई एबसोल्यूट फ्रीडम भी नहीं है—दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमबैडस डे, जिसका जिक्र आया है, मेरे पास कटिंग है, यू० पी० के 50 सीनियर आफिसर्स उसमें मौजूद थे, आई० जी० पुलिस भी थे और उनकी बीबी उसकी अध्यक्षता कर रही थीं। मेरे पास टाइम्स आफ इंडिया की कटिंग है। जब होम सेक्रेटरी

*Not recorded.

[श्री कंवर लाल गुप्त]

पूछ रहे थे टेलीफोन पर हर घंटे के बाद कि क्या हो रहा है तो टेलीफोन वैसे ही रख देते थे जब कि फायरिंग हो रही थी । इसका मतलब है कि कोई जिम्मेदार अफसर वहां पर मौजूद नहीं था । मैं पूछना चाहता हूं क्या यह तथ्य ठीक है जो कि अखबार में निकले हैं और अगर ठीक हैं तो मैं मांग करूंगा कि आप आई० जी० को सस्पेंड करेंगे या नहीं ? अगर कोई जिम्मेदार अफसर वहां पर होता तो शायद यह काण्ड हो नहीं होता । इसलिए मैं मांग करता हूं कि सीनियर अफसर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ।

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इसमें कोई पोलिटिकल हैंड है या नहीं ? एक प्री-प्लान्ड चीज थी और इतना बड़ा वायलेंस हो गया तो क्या आप इसमें पोलिटिकल हैंड देखते हैं या नहीं ?

तीसरी चीज यह है कि जैसा उस दिन प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि मैं सभी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करूंगा तो क्या आप स्टेट गवर्नमेन्ट्स को भी सलाह देंगे कि वे सभी पोलिटिकल पार्टीज को बुलाकर के कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें ?

इसके अलावा जो आपने यह कहा है कि 15 दिन में कार्यवाही की है तो मैं जानना चाहता हूं कि 15 दिन में कितने गुण्डे पकड़े गए, दफा 144 कहां कहां लगाई गई और दूसरी क्या कार्यवाही की जिससे आगे जाकर गड़बड़ी न हो ? आपने क्या प्रिकाशनरी मैजर्स लिए ? अगर कोई प्रिकाशनरी मैजर्स नहीं लिए तो यह फेल्यर किसका है ? हमें इस बारे में सोचना चाहिये वे कौन अधिकारी थे जिन्होंने इस पर कार्यवाही नहीं की, कोई थे इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या नहीं थी, थी तो क्या थी और अगर यह चीज प्री-प्लान्ड थी तो क्या कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

आखिरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सारे देश में जो वायलेंस हो रहा है उसको देखते हुये इंडियन पीनल कोड में संशोधन करके कोई स्ट्रिजेन्ट कानून लायेंगे जिससे कि गुण्डा एलिमेंट को गिरफ्तार किया जा सके ?

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय सदस्य ने जिस न्यूज-आइटम की तरफ ध्यान खींचा है, मैंने भी उसको देखा है, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है । यह रिपोर्ट लखनऊ की है और यह घटना आगरा में घटी है, जहां आई० जी० मौजूद थे, डी० आई० जी० मौजूद थे, कमिश्नर मौजूद थे . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना) : उनके संरक्षण में यह सब हुआ है । **(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Don't record anything.

श्री धनिक लाल मंडल : टाइम्स आफ इंडिया की जिस न्यूज आइटम की तरफ ध्यान खींचा गया है—हस्बैण्डस डे के बारे में—वह लखनऊ की रिपोर्ट है . .

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या उसकी एन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री धनिक लाल मंडल : लेकिन यह घटना तो आगरा की है . . . **(व्यवधान)** . .

मैंने स्वयं अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से यह घटना घटी—15 मिनट के अन्दर 8 स्थानों पर एक साथ आगजनी की घटनायें हुईं, फायरिंग की घटनायें हुईं, इनसे एक इन्फरेन्स लिया जा सकता है कि इनके पीछे एक सुनियोजित ढंग से काम हुआ है और यह किसी गिरोह का काम है—इसकी जांच जरूर करायी जाएगी . . . **(व्यवधान)** . . ;

ता० 15 से ता० 30 की बीच की जो बात माननीय सदस्य ने उठाई है, जो जलूस निकला, जो सत्याग्रह हुये—मांग इतनी थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया—ता० 30 को 35 लोग गिरफ्तार किये गये . . .

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वे गुण्डा एलीमेंटस थे ?

श्री धनिक लाल मंडल : मांग इतनी थी कि उनको अनकण्डीशनली रिलीज किया गया . . . . (**व्यवधान**) . . . उनको बेल पर ही छोडा जा सकता था . . . (**व्यवधान**) . . . .

MR. SPEAKER: Mr. Minister, kindly don't repeat the same thing. Please answer the question.

श्री श्यामसुन्दर लाल : होम मिनिस्टर साहब कह रहे है कि एक टाइम पर आठ जगह आग लगी और गवर्नमेंट उसको सम्भाल नहीं सकी । इसका मतलब है कि देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है और गवर्नमेंट को बिलकुल पता नहीं चलता है । आज आगरा में आग लगी है, कल क्या होगा, इनको पता नहीं है . . .

MR. SPEAKER: He has raised three or four questions. You have to answer the questions, or if you do not have the information, you have to say that you do not have the information, and that you will collect it, but you are not again and again to repeat the same thing. That does not serve the purpose. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Don't record.

(Interruptions) **

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni): *rose—*

MR. SPEAKER: How do you come into the picture? This is a calling attention.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: On a point of order.

MR. SPEAKER: What is the point of order?

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: The answer has not been given to the question.

MR. SPEAKER: That is no point of order.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My question was: how many goondas were taken into custody as a precautionary measure?

SHRI DHANIK LAL MANDAL: It does not arise.

MR. SPEAKER: No, no, it does arise. If you do not have information, you can say so.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I require notice.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will he advise the Chief Minister of the State to call a meeting of all the parties?

MR. SPEAKER: That is a matter of suggestion. Shri Keshavrao Dhondge—not present.

We go to the next item.

12.50 hrs.

MOTION *RE.* DRAFT FIVE-YEAR PLAN 1978-83

MR. SPEAKER: We now take up the Motion to be moved by the Prime Minister:

**Not recorded.